ग्राम पंचायत उपरीधार, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग—एक

1 **(क) प्रस्तावनाः—** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत उपरीधार, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत्त थेः—

प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री खेम चन्द	01.04.13 से 22.1.16
2	श्रीमती कृष्णा देवी	23.01.16 से 31.03.16

सचिवः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री विनोद कुमार	01.04.13 से 4.3.14
2	श्री संजय कुमार	5.3.14 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः— ग्राम पंचायत उपरीधार के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.80
2	8	अनुदान राशि का उपयोग न करना	10.63
3	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	1.45
4	11	हस्तगत राशि का अस्थाई दुर्विनियोजन	0.47
5	12	निर्माण कार्य में सम्भावित गबन	0.09
6	14	मजदूरी के भुगतान करने के समर्थन में माप पुस्तिकायें प्रस्तुत न करना	0.23

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत उपरीधार, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 5.9.2016 से 7.9.2016 एवं 12.9.2016 से 15.9.2016 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गयाः–

वित्तीय वर्ष	आय के लिए चयनित मास	व्यय के लिए चयनित मास
2013–14	08/2013	01/2014
2014–15	10/2014	09/2014
2015–16	02/2016	12/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रदत्त किसी गलत एवं अपूर्ण सूचना अथवा सूचना/अभिलेख उपलब्ध न करवाये जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत उपरीधार, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 137/2016 दिनांक 15.9.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत उपरीधार से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत उपरीधार द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी

(क) स्व स्त्रोत व विभिन्न अनुदान

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्तियाँ (₹)			व्यय (₹)		अन्तिम शेष
		स्वस्त्रोत	विभिन्न अनुदान	योग (₹)	स्वस्त्रोत	विभिन्न अनुदान	
2013–14	104165.20	63624	588218	756007.20	8907	489532	257568.20
2014–15	257568.20	44877	580376	882821.20	8289	271396	603136.20
2015–16	603136.20	141378	948265	1692779.20	8989	521276	1122514.20

	दिनांक 31.3.2016 को बचत खाते अनुसार शेष राशि	
(i)	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, लड़भड़ोल शाखा 31510100011	208382.02
(ii)	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, चौंतड़ा शाखा 30510104603	913503.00
(iii)	हस्तगत राशि	619
नोट1ः–	₹10 के अन्तर का विवरण **परिशिष्ट–1** में दिया गया है।	
	योग	1122504.02

नोट 2ः–इसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट–1 में दिया गया है

(ख) मनरेगा

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	81333	1807893	1889226	1862094	27132
2014–15	27132	382214	409346	409346	0
2015–16	0	654700	654700	654700	0

दिनांक 31.3.2016 को बचत खाते अनुसार शेष राशि

हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, चौंतड़ा शाखा 30510105447

नोटः– इसका विस्तृत विवरण संलग्न **"परिशिष्ट–2"** में दिया गया है।

5 निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखनाः–

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के निरीक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–3** में दिये गये विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (बिल बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 बजट प्राक्कलन तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्रक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व की ₹0.80 लाख वसूली हेतु शेषः–

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार दिनांक 31.3.16 तक पंचायत के राजस्व ₹0.80 लाख की वसूली शेष थीः–

1 मोबाइल टावर

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2013–14	60000	17000	77000	4500	72500
2014–15	72500	17500	90000	15000	75000
2015–16	75000	17500	92500	12500	80000

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली शीघ्र करनी सुनिश्चित की जाए।

8 अनुदान ₹10.63 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–4** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹1063111 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/– व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता था। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में लाखों रूपये की राशि का व्यय विभिन्न विकासात्मक कार्यों में किया गया है, किन्तु इन समस्त निर्माण कार्यों की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन से सम्बन्धित अभिलेख जांच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया

गया जिसके अभाव में पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय की गई यह राशि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्माण कार्यों पर व्यय की गई इन समस्त राशियों के प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति एवं प्राकलन से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किए जाए ताकि इन समस्त व्ययों की तदानुसार जाँच की जा सके।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही ₹1.45 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा ₹145292 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उपरोक्त क्रय की गई स्टॉक/स्टोर की मदों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "5"** में संलग्न है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोंर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 ₹0.47 लाख की राशि का अस्थाई रूप से दुर्विनियोजनः–

ग्राम पंचायत उपरीधार द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा ₹47425 की राशि गृहकर के रूप में निम्नविवरणानुसार प्राप्त की गई थी।

क्र0सं0	**रसीद सं0**	**राशि**	**राशि प्राप्ति की अवधि**	**रोकड़ बही में लिये जाने की तिथि**
1	274962 से 275000	3900	9.8.13	9.8.13
2	274001 से 274100	10000	9.8.13 से 11.8.13	26.8.13
3	274701 से 274800	10000	11.8.13 से 12.8.13	26.8.13
4	273801 से 373900	10000	12.8.13 से 14.8.13	26.8.13
5	273901 से 274000	10000	14.8.13 से 18.8.13	26.8.13
6	274401	25	11.8.13	30.9.13
7	274402 से 274433	3200	15.8.13	30.9.13
8	274435 से 274437	300	15.8.13	30.9.13
	योग	**47425**		

जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त प्राप्त राशि को उनके सामने दर्शाई गई तिथियों को प्राप्ति के लगभग 8 दिन से 45 दिन के उपरान्त रोकड़ बही में लिया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

इसके अतिरिक्त जाँच में पाया गया कि पंचायत सचिव द्वारा इस राशि को प्राप्ति की दिनांक से लेकर दिनांक 26.1.2014 तक सम्पूर्ण राशि को हस्तगत रूप में रखा गया था एवं तदोपरान्त रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 100 अनुसार इस कुल ₹47425 में से ₹34064 का भुगतान पंचायत की विभिन्न देनदारियों हेतु दर्शाया गया है एवं शेष राशि में से ₹10200 को दिनांक 3.3.2014 को पंचायत के बचत खाता संख्या 30510104603 में जमा करवाया गया है एवं शेष ₹3161 में से ₹388 का व्यय दिनांक 30.5.2014 को किया गया दर्शाया है एवं शेष ₹2773 को दिनांक 30.9.14 तक अन्य हस्तगत राशि के साथ दर्शाया गया।

नियमानुसार पंचायत द्वारा प्राप्त आय को उसी कार्यदिवस अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों में आगामी कार्यदिवस पर रोकड़बही में दर्ज करने उपरान्त बैंक में जमा करवाया जाना अपेक्षित था किन्तु पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा इतनी अधिक राशि को हस्तगत राशि के रूप में रखना एवं इसी राशि में से नियमों के विपरीत भुगतान करना न केवल इस राशि का अस्थाई रूप से दुर्विनियोजन है अपितु हस्तगत राशि से इतनी अधिक मात्रा में नकद भुगतान करना भी नियमों के विरूद्ध है।

अतः इस सम्पूर्ण प्रकरण बारे विभागीय स्त्तर पर पूर्ण छानबीन की जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति रोकने हेतु आन्तरिक जाँच प्रणाली को भी सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।

12 निर्माण कार्य में ₹0.09 लाख का सम्भावित गबनः–

ग्राम पंचायत द्वारा ₹47065 का व्यय निर्माण कार्य सुरक्षा दीवार व ब्रेस्ट दीवार आर्युवैदिक स्वास्थय केन्द्र, नमेलरी के भवन हेतु BASP Head से किया गया था।

क्र0सं0	वा0सं0	दिनांक	फर्म का नाम	बिल सं0/दि0	राशि	सामग्री का विवरण
1	27	27.1.14	मै0 अजय बरवाल गाँव व डाकघर रोपड़ी कलेहरू	114/10.10.13	10450	जे0सी0बी0 का किराया
2	28	27.1.14	–यथोपरि–	115/10.01.14	9000	बजरी 200 cft @ 45
3	29	27.1.14	–यथोपरि–	115/10.1.14	12994	बजरी 200 cft @ 45 क्रशर 75 cft @ 45+वैट
4	30	27.1.14	मै0 शर्मा स्टील फेब्रिकेटर्स	015/15.12.13	4980	दरवाजा एल्यूमिनियम

5	31	27.1.14	मै0 दीना नाथ एण्ड सन्स, जोगिन्द्रनगर	088/12.11.13	2000	सीमेन्ट 50 बैग का किराया
6	32	27.1.14	मै0 स्वामी ट्रेडर्ज, चौंतड़ा	4974/12.1.14	7641	सरिया 151.2kg
				योग	**47065**	

उपरोक्त भुगतान बिलों के सम्बन्ध में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ हैं, जिनका निराकरण अपेक्षित हैः–

1 पंचायत द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु जे0सी0बी0 एवं रेत तथा बजरी के क्रय हेतु नियमानुसार अपनाई जानी वाली क्रय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। जे0सी0बी0 हेतु मात्र एक निविदा ही प्राप्त की गई है एवं रेत तथा बजरी के क्रय हेतु मात्र दो फर्मों से ही निविदायें प्राप्त की गई है, जोकि नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है एवं इस प्रकार पंचायत द्वारा बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया है, जो कि अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस बारे सम्पूर्ण स्पष्टीकरण देते हुये इसकी कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

2 अभिलेख की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा क्रम संख्या 2 में दर्शाया गया वाउचर क्रमांक 28 दिनांक 27.1.2014 ₹9000 200 cft बजरी के क्रय हेतु दो बार भुगतान किया गया दर्शाया गया है, क्योंकि फर्म को इस राशि का भुगतान वाउचर संख्या 29 दिनांक 27.1.2014 (क्रम संख्या 3) द्वारा भी किया गया है जिसमें बजरी क्रय ₹9000 का भुगतान शामिल है। अतः इस प्रकार पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा ₹9000 के व्यय को पंचायत निधि से अधिक निकासी कर इस राशि का दुर्विनियोजन किया गया है, जिसकी वसूली दोषी व्यक्ति से दण्ड ब्याज सहित करने उपरान्त पंचायत खाते में जमा करवाई जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

3 पंचायत द्वारा वर्तमान अंकेक्षण कार्य की प्रगति से सम्बन्धित माप पुस्तिका जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में किये गये कार्य की वास्तविक मात्रा एवं उसकी प्रगति की जाँच नहीं की जा सकी। अतः उक्त कार्य की प्रगति से सम्बन्धित माप पुस्तिका एवं उसकी प्रविष्टियों की जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

4 पंचायत द्वारा उपरोक्त भुगतान बिलों द्वारा क्रय सामान की न तो स्कंध प्रविष्टियाँ की गई है एवं न ही उनके आगामी निपटारे से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया, जिसके अभाव में उक्त व्यय को प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है। अतः सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

5 पंचायत द्वारा क्रम संख्या 5 में वर्णित ₹2000 का भुगतान सीमेन्ट 50 बैग की ढुलाई के सन्दर्भ में दर्शाया गया है, किन्तु सीमेन्ट के क्रय से सम्बन्धित अभिलेख वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में ₹2000 के उक्त भुगतान को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः उक्त सीमेन्ट ढुलान के क्रय से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए अन्यथा इस ₹2000 को वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से करना सुनिश्चित की जाए।

13 ₹0.05 लाख के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना

ग्राम पंचायत उपरीधार की सामान्य रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 016 में दिनांक 31.3.2015 को वाउचर संख्या 36 के द्वारा पंचायत के साईन बोर्ड हेतु ₹5000 का व्यय 13^{th} वित्त आयोग के माध्यम से दर्शाया गया है एवं इस राशि का भुगतान पंचायत सचिव द्वारा पंचायत के खाता संख्या 31510100011 में से दिनांक 15.5.2015 को नकद निकासी के रूप में किया गया है। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि वाऊचर नस्ति में केवल 35 नं0 तक ही वाउचर संख्या उपलब्ध भी एवं वाउचर संख्या 36 वाउचर नस्ति में उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त उक्त वाउचर की प्रविष्टि भी रोकड़बही में बाद में की गई प्रतीत होती है, क्योंकि रोकड़ बही के उक्त पृष्ठ में शेष में अधिलेखन किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में विभागीय स्त्तर पर जाँच करने उपरान्त वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। अन्यथा इस राशि की वसूली सम्बन्धित दोषी से करने उपरान्त पंचायत निधि में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

14 मजदूरी के रूप में ₹0.23 लाख के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में ₹23172 का भुगतान/व्यय निम्न विवरणानुसार किया गया है:–

क्र0सं0	रोकड़ बही का विवरण	वा0सं0	माह	राशि	व्यय का विवरण
1	सामान्य	53	9.12.15	4956	मस्ट्रोल क्रमांक 030743 अवधि 1.8.15 से 8.8.15
2	मनरेगा	134	27.1.14	18216	मस्ट्रोल क्रमांक 4914–4915 अवधि 1.1.14 से 14.1.14
			योग	**23172**	

पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा मजदूरी के रूप में किए गए उपरोक्त भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में कार्य की प्रगति एवं वास्तव में किये गये कार्य हेतु इतनी मजदूरी देय थी अथवा नहीं की जाँच नहीं की जा सकी।

अतः इन वाउचरों द्वारा किये गये भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिका आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित की जाए ताकि उसकी तदानुसार जाँच की जा सके।

15 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व अन्य विभिन्न नियमों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	विविधानों के लिए रजिस्टर	1	12 (1), 27 (1)
2	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	4	13 (5)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77 (4)
5	बजट प्राक्कलन	11, 12	37, 38
6	गैर खपने वाली वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	25	72 (1)
7	लेखन सामग्री से भिन्न खपने वाली वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	26	72 (1) ख
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1) (ग)
9	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	96 (1)

16 प्रत्यक्ष सत्यापनः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 विविधः—

ग्राम पंचायत की वित्तीय वर्ष 2014—15 की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि माह 09/2014 से 11/2014 तक के बिजली बिल का भुगतान पंचायत द्वारा दो बार क्रमशः वाउचर संख्या 28 दिनांक 25.11.2014 एवं वाउचर संख्या 29 दिनांक 24.12.2014 द्वारा रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 11 एवं 12 में दर्शाया गया था। अंकेक्षण द्वारा यह प्रकरण उजागर करने उपरान्त

सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा अधिक दर्शाई गई ₹358 को रसीद संख्या 274452 दिनांक 14.9.2016 द्वारा जमा करवा दिया गया है, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है।

यद्यपि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा अधिक भुगतान/दो बार भुगतान हेतु दर्शाई गई राशि को जमा करवा दिया गया है, तथापि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृति रोकने हेतु आन्तरिक जाँच प्रणाली की सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।

18 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

19 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता के अतिरिक्त विभाग की आन्तरिक जाँच प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

हस्ता/—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (xi) 11/2017—खण्ड—1—1584—1587 दिनाँकः09.03.2017
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत उपरीधार विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता/—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.